रीना दवे बनाम लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर प्रकरण संख्या 46/2017

20.11.2017	अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर उपस्थित। प्रकरण में राज्य लोक सूचना अधिकारी को सुना गया। अपीलांट द्वारा अपील में अवगत करवाया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 732018 के संलग्न आवेदन पत्र द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उपलब्ध करवाई गई सूचना आवेदन से संबंधित नहीं है। अपीलांट द्वारा मुख्यत: भारत के राष्ट्रीय पर्व (स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस) को ग्राम पंचायत स्तर के सार्वजनिक समारोह को आयोजित करने हेतु अधिकृत नोडल ऑफिसर का नाम, पदनाम व नोडल ऑफिसर के कार्यालय का नाम बाबत सूचना चाही गई थी। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) द्वारा व्यक्त किया गया कि अपीलांट का आवेदन पत्र 30.08.2017 को प्राप्त हुआ। अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना की राशि जमा करवाने पर आवेदित सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/1054 दिनांक 22.09.2017 के द्वारा प्रेषित कर दी गई। अत: अपील खारिज की जावे। प्रकरण में अपीलांट को पुन: दिनांक 20.11.2017 को अपीलोतर टिप्पणी पर अपना पक्ष रखने हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्रांक/1948 दिनांक 08.11.2017 को स्पीड पोस्ट डाक द्वारा सूचित किया गया परंतु अपीलांट द्वारा प्रकरण में अपनी उपस्थिति नहीं दी। हमने लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराये गये सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2)विभाग जयपुर के पत्रांक/प.23(1)सा.प्र./2017दिनांक 18. 07.2017 का अवलोकन किया। जिसके बिन्दु संख्या 13,14 व 15 में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध है। यह सामान्य ज्ञान की विषय वस्तु है कि जिस कार्यालय पर झंडारोहण कार्यक्रम किया जाता है वही उसका नोडल कार्यालय एवं उसका कार्यालयध्यक्ष नोडल अधिकारी होता है। अत: हमारी राय में अपीलार्थी को राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसके द्वारा चाही गई सूचना समूचित रूप से उपलब्ध करा दी गई है। अत: अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। (बी.एल.कोठारी) **प्रथम अपीलीय अधिकारी** (जिला कलेक्टर) जालोर	